संख्या–5393/सत्तर–6–2009–2(574)/2009

प्रेषक,

आर0के0मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2009

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2227/सम्बद्धता/2009, दिनांक 29.12.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन जया रामराज उपाध्याय बालिका महाविद्यालय, पडरीबाबू, परशुरामपुर, बस्ती को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गृहविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र एवं इतिहास विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2009 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या–5393(1)/सत्तर–6–2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. प्रबन्धक, जया रामराज उपाध्याय बालिका महाविद्यालय, पड़रीबाबू, परशुरामपुर, बस्ती।
4. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

# सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
## सिद्धार्थनगर, उ0प्र0-272202

Website : www.suksn.edu.in - Email Id : registrarsiddunivgmail.com


पत्रांक- 1329 /सि0वि0वि0/सम्बद्धता/2021 दिनांक 24/08/2021

प्रेषक

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक/ प्राचार्य,
जया रामराज उपाध्याय बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
पडरी बाबू, परसरामपुर, बस्ती।

विषय- स्नातकोत्तर स्तर कला संकाय के अन्तर्गत संचालित गृहविज्ञान एवं समाजशास्त्र विषयों मे सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सदर्भ मे अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा मे महाविद्यालय मे प्राचार्य एवं शिक्षक अनुमोदन, अनुमोदित शिक्षको का (कार्यभार, नियुक्ति, संविदा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व स्टेटमेंट), प्रबन्ध समिति तथा विगत तीन वर्षो का 60 प्रतिशत परीक्षाफल एवं नकलविहीन प्रमाण-पत्र पूर्ति कर लिये जाने के कारण सत्र 2021-22 अर्थात 01.07.2021 से स्थायी सम्बद्धता की संस्तुति प्रदान कर दिया जाय, तथा महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर शासन द्वारा जारी सम्बद्धता सम्बन्धी मानको का अनुपालन किया जायेगा अन्यथा ऐसे महाविद्यालयो की सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

अतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन जया रामराज उपाध्याय बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पडरी बाबू, परसरामपुर, बस्ती को महाविद्यालय मे संचालित स्नातकोत्तर स्तर कला संकाय के अन्तर्गत संचालित गृहविज्ञान एवं समाजशास्त्र विषयो मे स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2021-22 अर्थात् दिनांक-01.07.2021 से निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

1 महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त कर छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में छात्रो का लिया गया प्रवेश अवैध माना जायेगा।
2 महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओ के कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3 संस्था शासनादेश सं0 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एव 4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007 दिनाक 17.10.2007 तथा 2112/सत्तर-2-2008-2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देश एवं इस विषय मे समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशो का पालन करेगी।
4 रिट याचिका स0 61589/2012 मे पारित आदेश दिनाक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षको के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध मे निर्गत शासनादेश स0 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित करेगा।
5 कतिपय संस्थानो /महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशो मे इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह मे पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलपति को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तो को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6 यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित किया जायेगा-तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानो के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7 संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले वर्ष सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
8 संस्था का संचालन व्यवसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9 संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10 संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11 संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
12 संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
13 महाविद्यालय की स्थायी सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है। कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता मे यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध मे महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

कुलसचिव

पत्रांक -तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3 अधिष्ठाता, कला/वाणिज्य संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव, परीक्षा सामान्य, सि0वि0वि0, सिद्धार्थनगर।
4 उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।
5 सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6 गार्ड फाईल (सम्बद्धता)

कुलसचिव

**TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART –III, SECTION 4**

File No. NRC/NCTE/Recognition/NRCAPP-10893/B.Ed./2017 /167422 Dated:- 22 MAR 2017

**RECOGNITION ORDER**

WHEREAS in terms of section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institutions had submitted applications to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for Teacher Education Courses.

1. AND WHEREAS on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted by the institutions mentioned in table below, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution against decision of clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014, the Northern Regional Committee in its meeting held from time to time (mentioned against each of the institution) is satisfied that the institution/society fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the concerned Teacher Education Programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms and as per the approval of faculty given by the affiliating bodies.
2. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a)/15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition/permission to the following Institutions for conducting Teacher Education programme with an annual intake mentioned against their names from the academic session 2017-2018 under clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014 subject to fulfilment of the conditions mentioned below: -

| Sr. No. | File No. | Name of Institute | Course | Duration | Approved annual intake | Meeting No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRCAPP-10893 | Jaya Ramraj Upadhyay Balika Mahavidyalaya, Plot no. 397,378,379, 382, 376,102,101, Street no. NA, Village -Padari Babu, P.O. Parashurampur, Tehsil -Harraiya, Town-Basti, District -Basti -272130 , Uttar Pradesh | B.Ed. | 2 Year | 100 (2 Unit) | 262nd (Part-8) Meeting |

3. **The Institutions shall adhere to the fulfillment of the provisions of the NCTE Regulations, 2014 and ensure the following before commencement of the session: -**

(i) The institution shall comply with various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.
(ii) The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(10) of the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014.
(iii) The institution shall comply with the condition as laid down in the clause 8(3) of the NCTE Regulations, 2014 which provided that "An institution which has been recognized by the Council shall obtain accreditation from an accrediting agency approved by Council within five year of such recognition."
(iv) The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.
(v) As per the provisions of the NCTE Regulations, 2014 the following norms have been prescribed for staff/ qualifications/administrative and professional staff/terms and conditions of service etc.

4. **Further, the recognition is subject to fulfilment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, the State Government etc. as applicable and compliance of the following by the affiliating body, State Govt and also the concerned recognised Institution: -**

(i) The affiliating bodies/State Govt. shall be required to verify the authenticity of the land & building documents with the required land & built up area as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

(ii) The affiliating body shall ensure that the institution is composite institution as per the definition of composite institution given in the NCTE Regulation, 2014. If at any stage, it is found that the institution as not a composite institution, the recognition, granted will be treated as withdrawn and the sole responsibility of the same will be of the institution. However, in the existing institutions permitted for additional intake, shall have to ensure that they are to become composite gradually preferably the academic session 2017-18.

(iii) The NOC of the affiliating body and staff approval thereof submitted by the institution, if found fake at any stage, the recognition, granted will be treated as withdrawn and the sole responsibility of the same will be of the institution.

13. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

14. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure: -

(i) Copy of the Application Form
(ii) Land and Building Particulars
(iii) Staff Profile
(iv) Recognition letter
(v) Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.

7. In case if the land is in the name of the Society/trust, the land is to be transferred within six months in the name of the institution, failing which action shall be initiated to withdraw the recognition. It shall be essential on the part of the institution concerned to get the needful done in this regard and intimate about the same to the respective Regional Committee along with the new land documents within the stipulated time.

8. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee shall withdraw the recognition as under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

9. Further, if the institution is not satisfied with the order, it may prefer an appeal under sections 18 of NCTE Act, 1993 in the "online mode" available on NCTE's website www.ncte.india.org within 60 days from the date of this order. The guidelines for filing appeal may be seen on NCTE's website.

**By order**

**(Satish Gupta)**
**Regional Director(I/C)**

The Manager
Govt. of India Press
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi – 110 054

Copy to: -

| | | |
|---|---|---|
| 1. | The Principal, Jaya Ramraj Upadhyay Balika Mahavidyalaya, Plot no. 397,378,379, 382, 376,102,101, Street no. NA, Village -Padari Babu, P.O. Parashurampur, Tehsil -Harraiya, Town-Basti, District -Basti -272130 , Uttar Pradesh. | |
| 2. | The Manager/Secretary, Jaya Ramraj Upadhyay Balika Mahavidyalaya, Plot no. 0, Street no. Parashurampur To Kushmaur Ghat, Village -Padari Babu, P.O. Parashurampur, Tehsil -Harraiya, Town-Basti, District -Basti -272130 , Uttar Pradesh. | |
| 3. | The Principal Secretary, (Higher Education) Govt. of Uttar Pradesh, UP Civil Secretariat, Annexe Bhawan 5th Floor, Room No. 501, Lucknow-226001, Uttar Pradesh | *With a request to ensure compliance of the terms & conditions as laid down above.* |
| 4. | The Registrar, Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Civil Lines, Gorakhpur, (UP) | *With the request to ensure veracity of the NOC & approval of the staff issued to the Institution and also ensure that the admissions are made by the Institutions as per the size of unit and intake mentioned in the recognition /permission order and compliance of other terms and conditions as laid down above.* |
| 5. | The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001 | |
| 6. | The US (EDP), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002. | |
| 7. | Computer Section of NRC, NCTE, Jaipur for uploading the same on NRC website. | |
| 8. | Office order file/ Institution file. | |

Regional Director(I/C)

# सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर, उ0प्र0–272202

Website : www.suksn.edu.in – Email Id : registrarsiddduniv@gmail.com

दिनांक 30/05/2022

पत्रांक 31 /सि0वि0वि0/सम्बद्धता/2022

प्रेषक

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,
जया रामराज उपाध्याय बालिका महाविद्यालय,
पडरीबाबू, परशुरामपुर, बस्ती।

विषय– स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम मे सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ मे अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा मे महाविद्यालय द्वारा गत दो वर्षो का 60 प्रतिशत से अधिक परीक्षाफल एवं नकल विहीन प्रमाण की पूर्ति करा लिये जाने के कारण सत्र 2022–23 अर्थात् 01.07.2022 से दो यूनिट अर्थात् 100 सीटो की प्रवेश क्षमता सहित स्थायी सम्बद्धता की संस्तुति प्रदान कर दिया जाय।

अतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन जया रामराज उपाध्याय बालिका महाविद्यालय, पडरीबाबू, परशुरामपुर, बस्ती को सत्र 2022–23 अर्थात् 01.07.2022 से स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम मे स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत दो यूनिट अर्थात् 100 सीटो की प्रवेश क्षमता सहित स्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है–

1 महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त कर छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति मे छात्रों का लिया गया प्रवेश अवैध माना जायेगा।

2 महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओ के कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय मे उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3 संस्था शासनादेश स0 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं 4108/सत्तर–2–2007–2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा 2112/सत्तर–2–2008–2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देश एवं इस विषय मे समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशो का पालन करेगी।

4 रिट याचिका स0 61589/2012 मे पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध मे निर्गत शासनादेश स0 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित करेगा।

5 कतिपय संस्थानो /महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों मे इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलपति को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तो को निरन्तर पूरी कर रहा है।

6 यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित किया जायेगा–तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

7 संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि मे सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले वर्ष सत्र से छात्रो का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

8 संस्था का संचालन व्यवसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।

9 संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

10 संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।

11 संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।

12 संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमो के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

13 महाविद्यालय की स्थायी सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है। कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमो का उल्लघंन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

पत्रांक –तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3 अधिष्ठाता, कला/वाणिज्य संकाय/परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा सामान्य, सि0वि0वि0, सिद्धार्थनगर।
4 उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।
5 सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6 सम्बन्धित पत्रावली मे संरक्षित हेतु।

कुलसचिव